छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

पीठ: **माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा न्यायमूर्ति एवं**

माननीय श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायमूर्ति

रिट अपील क्रमांक 319 वर्ष 2011

मेसर्स श्वेत केमिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।

बनाम

भारतीय स्टेट बैंक

आदेश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारण के लिए

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायमूर्ति

माननीय श्री न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा

मैं सहमत हूँ।

सही/-
राधे श्याम शर्मा
न्यायमूर्ति

आदेश हेतु सूचिबध्द करने की तिथि: 7/07/2011

सही/-
न्यायमूर्ति
6/07/2011

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

पीठ: **माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा न्यायमूर्ति एवं**

माननीय श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायमूर्ति

रिट अपील क्रमांक 319 वर्ष 2011

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी / याचिकाकर्ता: मेसर्स श्वेत केमिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के संबंधित प्रावधानों के तहत विधिवत पंजीकृत कंपनी, जिसका कार्यालय 21 समता कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.) में स्थित है, द्वारा श्री रितेश अग्रवाल पिता श्री कमल कुमार अग्रवाल, उम्र लगभग 33 वर्ष निवासी - समता कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.) ।

बनाम

प्रत्यर्थी: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 के संबंधित प्रावधानों के तहत विधिवत निगमित एक

बैंकिंग कंपनी है, जिसकी अन्य शाखाओं के साथ-साथ मध्यम उद्यम (बिक्री केंद्र), एसएमई शाखा परिसर, भूतल, क्षेत्रीय कार्यालय परिसर, बैरन बाजार, रायपुर (छ.ग.) में स्थित एक शाखा कार्यालय एवं अरेरा हिल्स, प्रथम तल, जिला जेल के पास, भोपाल (म.प्र.) 462011 में स्थित उसकी तनावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन शाखा 1 ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(रिट अपील अंतर्गत धारा 2(1) ,छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (युगल पीठ को अपील) अधिनियम, 2006)

उपस्थिति: अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री बी.पी. शर्मा।

श्री गौतम भादुरी, कैविएट याचिका क्रमांक 357/2011 में प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता

आदेश

(07.07.2011)

सुनील कुमार सिंह, न्यायमूर्ति, द्वारा न्यायालय का निम्नलिखित आदेश सुनाया गया।

(1) अपीलार्थी को दिनांक 15.4.2011 को प्रत्यर्थी द्वारा आक्षेपित नोटिस (अनुलग्नक-पी/1) तामील कराया गया था, जिसमें बकाया ऋण राशि के कारण परिसंपत्तियों/संपत्तियों का कब्जा सौंपने का निर्देश था। अपीलार्थी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 13 (2) के तहत नोटिस तामील होने और वैधानिक अवधि समाप्त होने के बाद भी ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया। आक्षेपित नोटिस में उल्लिखित संपत्तियों का भौतिक कब्जा लेने की तिथियां भी निर्धारित की गई थीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) अपीलार्थी ने रिट याचिका दायर कर उक्त नोटिस की वैधता को चुनौती दी है।

(3) अपीलार्थी ने रिट न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत पूर्व मांग नोटिस अपीलार्थी कंपनी को नहीं दिया गया था क्योंकि यह निदेशकों को दिया गया था, इसलिए पूर्व नोटिस तथा गिरवी रखी गई संपत्ति पर कब्जा लेने के लिए आक्षेपित नोटिस दिनांक 15.4.2011 (अनुलग्नक-पी/1) विधिवत रूप से अवैध थे।

(4) रिट न्यायालय ने आक्षेपित नोटिस की विषयवस्तु और अधिनियम की धारा 13 के प्रावधानों पर विचार करते हुए, तथा ***इंडियन ओवरसीज बैंक बनाम अशोक सॉ मिल (2009) 8 एससीसी 366*** सहित सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उध्दरण देते हुए यह अधिनिर्णय किया कि अपीलार्थी के लिए अधिनियम की

धारा 17 के तहत अपील करने का एक वैकल्पिक प्रभावी उपचार उपलब्ध था, तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

(5) अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बी.पी. शर्मा ने भी इसी प्रकार का तर्क दिया और कहा कि धारा 13 (2) के तहत नोटिस अपीलार्थी कंपनी को सीधे तौर पर नहीं दिया गया था, बल्कि अपीलार्थी कंपनी के निदेशकों को दिया गया था, अतः पूरी कार्रवाई निष्फल है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आक्षेपित नोटिस अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत सुरक्षित ऋण की वसूली का उपचार नहीं था, इसलिए धारा 17 के तहत अपील नहीं की जा सकती तथा रिट न्यायालय द्वारा पारित वह आदेश जिसमें यह अधिनिर्णय किया गया कि अपीलार्थी के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक उपचार उपलब्ध था, निरस्त किये जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) प्रत्यर्थी की ओर से कैविएट याचिका क्रमांक 357/2011 में उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गौतम भादुरी ने निवेदन किया कि नोटिस कंपनी की ओर से व्यक्तिगत निदेशक को प्राप्त हुए थे, इसलिए यह तर्क कि नोटिस तामील नहीं किए गए थे, उचित रूप से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। उनके द्वारा अधिनियम की धारा 13 (4) से संबंधित तर्क का भी विरोध किया गया।

(7) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और रिट न्यायालय के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(8) अधिनियम की धारा 17 में यह प्रावधान है कि ऋणदाता या अधिनियम के अध्याय **III** के अंतर्गत सुरक्षित उसके अधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 13 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी भी उपचार से पीड़ित कोई भी व्यक्ति (उधारकर्ता सहित) निर्धारित शुल्क सहित, मामले में अधिकार क्षेत्र रखने वाले ऋण वसूली न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदन कर सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि उधारकर्ता धारा 13 (4) के अंतर्गत सुरक्षित ऋणदाता द्वारा या अध्याय **III** के अंतर्गत अधिकृत अधिकारियों द्वारा उठाए गए किसी भी उपाय से पीड़ित है, तो उसे अपील दायर करने का पूरा अधिकार है। श्री शर्मा ने तर्क दिया है कि आक्षेपित नोटिस जारी होने तक धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत कोई उपचार नहीं किया गया था, इसलिए वैधानिक अपील नहीं बनती और अपीलार्थी की रिट याचिका स्वीकार किये जाने योग्य थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) धारा 13 की उपधारा (4) के खंड (क) में यह प्रावधान है कि यदि उधारकर्ता धारा 13 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने दायित्व का पूर्ण भुगतान करने में विफल रहता है, तो सुरक्षित ऋणदाता उधारकर्ता की सुरक्षित संपत्तियों पर कब्जा करने का सहारा ले सकता है, जिसमें सुरक्षित संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए पट्टे, आवंटन या बिक्री के माध्यम से अपने सुरक्षित ऋण की वसूली कर सकता है। आक्षेपित नोटिस (अनुलग्नक-पी/1) की वस्तुविषय से स्पष्ट होता है कि उक्त नोटिस के माध्यम से सुरक्षित ऋणदाता ने उधारकर्ता को नोटिस

में उल्लिखित संबंधित तिथियों पर संबंधित स्थान पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया है ताकि ऋणदाता-बैंक को ऋण की वसूली के लिये परिसंपत्तियों/संपत्तियों का कब्जा सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से सौंपा जाना सुनिश्चित किया जा सके। हमारा मानना है कि ऋणदाता/बैंक की उपरोक्त कार्रवाई सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा लेने की दिशा में एक कदम था और इस प्रकार कब्जा लेने की दिशा में उठाया गया कदम अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के खंड (क) के अंतर्गत आता है और इसलिए यह अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत अपील योग्य है।

(10) उधारकर्ता को नोटिस विधिवत तामील किया गया था या नहीं और क्या वैध तामील की गई थी, यह अपील का विषय है, यदि वास्तव में अपीलार्थी को वैकल्पिक प्रभावी उपचार के रूप में अपील का अधिकार उपलब्ध था, जैसा कि हम पहले ही अधिनिर्णित किया जा चुका हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) ***<u>यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम सत्यवती टंडन और अन्य, (2010) 8 एससीसी 110</u>*** में, सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 13 (4), 14 और 17 (1) के प्रावधानों पर विचार करते हुए कंडिका 42, 43, 44 और 45 में निम्नलिखित अवलोकन किया:-

> 42. आक्षेपित आदेश को अपास्त करने का एक और कारण है। यदि प्रत्यर्थी 1 को धारा 13 (4) के तहत जारी नोटिस या धारा 14 के तहत की गई कार्रवाई के विरुद्ध कोई ठोस शिकायत थी, तो वह धारा

17 (1) के तहत आवेदन दाखिल करके उपाय कर सकती थी। धारा 17 (1) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "कोई भी व्यक्ति" का व्यापक अर्थ है। इसमें ना केवल उधारकर्ता बल्कि गारंटर या कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल है जो धारा 13 (4) या धारा 14 के तहत की गई कार्रवाई से प्रभावित हो सकता है। न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण दोनों ही धारा 17 और 18 के तहत अंतरिम आदेश पारित करने के लिए सशक्त हैं तथा मामलों का निपटारा एक निश्चित समय सीमा के भीतर करने लिये बाध्य है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सरफेसी अधिनियम के तहत पीड़ित व्यक्ति को उपलब्ध उपचार त्वरित और प्रभावी दोनों हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

43. दुर्भाग्यवश, उच्च न्यायालय ने इस स्थापित विधि को अनदेखा किया कि यदि पीड़ित व्यक्ति के लिए कोई प्रभावी उपचार उपलब्ध हो तो उच्च न्यायालय सामान्यतः संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत याचिका पर विचार नहीं करेगी, और यह नियम करों, उपकरों, शुल्कों, अन्य प्रकार के लोक निधि और बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के बकाया राशि की वसूली से संबंधित मामलों में अधिक सख्ती से लागू होता है। हमारे विचार में, लोक निधि की बकाया राशि आदि की वसूली के लिए की गई कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर

विचार करते समय, उच्च न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा ऐसे बकाया राशि की वसूली के लिए बनाए गए विधि अपने आप में एक संहिता हैं, क्योंकि उनमें न केवल बकाया राशि की वसूली के लिए व्यापक प्रक्रिया शामिल है, बल्कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति की शिकायत के निवारण के लिए अर्ध-न्यायिक निकायों के गठन का प्रावधान भी है। इसलिए, ऐसे सभी मामलों में, उच्च न्यायालय को इस बात पर जोर देना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उपचार का लाभ उठाने से पहले, व्यक्ति को संबंधित विधि के अंतर्गत उपलब्ध सभी उपायों का उपयोग करना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

44. उपरोक्त विचार व्यक्त करते हुए, हम इस बात से अवगत हैं कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को, जिसमें उचित मामलों में कोई सरकार भी शामिल है, निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्तियाँ, जिनमें भाग **III** द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के प्रवर्तन के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए पाँच विशेषाधिकार रिट भी शामिल हैं, बहुत व्यापक हैं और उस शक्ति के प्रयोग पर कोई स्पष्ट सीमा नहीं है, लेकिन साथ ही, हम इस न्यायालय द्वारा विकसित स्व-लगाए गए

संयम के नियमों से अनभिज्ञ नहीं हो सकते, जिन्हें प्रत्येक उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते समय ध्यान में रखने के लिए बाध्य है।

45. यह सत्य है कि वैकल्पिक उपचार के उपयोग का नियम विवेकाधिकार का नियम है, बाध्यकारी नहीं, लेकिन यह समझना कठिन है कि उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर याचिका पर अनदेखा करके अंतरिम आदेश क्यों पारित करे, जबकि संबंधित विधि में उसकी शिकायत के निवारण के लिए तंत्र मौजूद है और उसके अंतर्गत याचिकाकर्ता आवेदन, अपील, पुनरीक्षण आदि दाखिल कर प्रभावी वैकल्पिक उपचार का लाभ उठा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) ***<u>कनैयालाल लालचंद सचदेव और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, (2011) 2 एससीसी 782</u>*** में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्णित किया कि यदि कोई मामला अधिनियम की धारा 17 (1) के दायरे में आता है, तो अधिनियम स्वयं उधारकर्ता या अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत कार्यवाही से प्रभावित किसी भी व्यक्ति के लिए डीआरटी के समक्ष अपील का प्रावधान करके एक प्रभावी उपचार की परिकल्पना करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय प्रभावी उपचार के आधार पर रिट याचिका को खारिज करने में सही था क्योंकि यह सर्वविदित है कि यदि किसी पीड़ित व्यक्ति के लिए कोई प्रभावी वैकल्पिक उपचार

उपलब्ध है तो उसे आमतौर पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत अनुतोष उपलब्ध नहीं होती है। ***साधना लोध बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, (2003) 3 एससीसी 524; सूर्य देव राय बनाम राम चंद्र राय, (2003) 6 एससीसी 675 और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम एलाइड केमिकल लेबोरेटरीज, (2006) 9 एससीसी 252*** में दिए गए पूर्व निर्णय का भी उल्लेख किया गया था।

(13) उपरोक्त पूर्वगामी कारणों से, हमें अपील में कोई सार नहीं मिलता है। अपील खारिज किए जाने योग्य है और इसे प्रस्ताव चरण में ही खारिज किया जाता है।

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायमूर्ति

सही/-
राधे श्याम शर्मा
न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by - Vidhi Mehta